

कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा) बिहार, पटना

सं.स्था(लेखापरीक्षा)/कोविड-19/21-22/सी-20

दिनांक 15.04.2021

कार्यालय आदेश

कार्मिक प्रशिक्षण विभाग के जापन के अनुसार, 45 वर्ष या उससे उपर के सभी सरकारी कर्मचारी को परामर्श दिया जाता है कि कोविड-19 के फैलने से रोकने के लिए टीका अवश्य लें । इस संबंध में कार्यालय के सभी इच्छुक एवं पात्र अधिकारी/कर्मचारी के लिए कार्यालय परिसर में 19.04.2021 से कोविड टीका कैम्प लगाया जाएगा ।

2. टीका के मद्देनजर ऐसे सभी अधिकारी /कर्मचारी टीका केन्द्र पर अपना नाम, मोबाईल नं. एवं पता बताएँगे एवं टीका से संबंधित पंजीकरण के लिए उपरोक्त तिथि को अपने साथ आधार कार्ड का मूल प्रति एवं छाया प्रति अपने साथ लाएँगे ।

3. सभी अधिकारी /कर्मचारी टीका केन्द्र पर कोविड नियमों का कड़ाई से पालन करेंगे ।

यह महालेखाकार (लेखापरीक्षा) महोदय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है ।

हस्ता/-

उपमहालेखाकार(प्रशासन)

प्रतिलिपि सूचना व आवश्यक कार्रवाई हेतु :-

1. सचिव, महालेखाकार(लेखापरीक्षा)बिहार, पटना
2. सभी समूह अधिकारी के सचिवालय
3. उपनिदेशक/ सी.आर.ए. का सचिवालय
4. वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी/जी.डी. एवं कल्याण । इस संबंध में आवश्यक व्यवस्था करें ।
5. वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.एस., कार्यालयी वेबसाईट पर आदेश की प्रति अपलोड करने के अनुरोध के साथ
6. कार्यालय आदेश फाईल
7. सूचना पट्ट एवं सभी संस्थाओं के व्हाट्सएप समूह

हस्ता/-

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी(प्रशासन)